न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2017

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

– वादी

बनाम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. नक्षत्रपाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

– प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88, 53 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1 श्री जगनंदन सिंह अधिवक्ता वादी

2 राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय दिनांकः 17.02.2020

उक्त अनवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया था, उक्त वाद पत्र को दिनांक 23.08.2017 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया, एवं विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बहस उभयपक्षकारन सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) सादुलशहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली में तहसीलदार सादुलशहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारन द्वारा कोई आपति जाहिर नही करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन निवेदन करते हुए इसी अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त अनुसार भिजवाया गया तथा पक्षकारन को कोई आपति नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

चक 8 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 36/32 प0न0 92/122 मु0न0 36 के कि0न0 10 में 0.253 हैक्टर नहरी, प0न0 91/122 मु0न0 37 के कि0न0 06 में 0.253 हैक्टर नहरी कुल 0.506 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार ही वादी का खाता अलग कायम किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयुटी पेश होने पर उक्तानुसार ही अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरबीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

17.2.2020

हवाईसिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.06 12:39:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: